तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज तपन कुमार बनाम शीला [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/3/25	पत्रावली पेश हुई. पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार 5/5/25 को पेश हो।	
5/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उप० अभि० प्रार्थी के फार्म नं० 3 के साथ दस्तावेज पेश किये व अभि० विप० ने पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26/5/25 को पेश हो।	
26/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उप० उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/5/25 को पेश हो।	
28/05/2025	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 09 / 2024

1.तपन कुमार पुत्र हरीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी पिचूना तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।
2.श्री गोपाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण ब्राह्मण निवासी पिचूना, तहसील उच्चैन,जिला भरतपुर। .....प्रार्थीगण

बनाम

1.सीता पुत्र नत्थी जाति राय निवासी पिचूना तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।
2जग्गो पुत्र नत्थी जाति राय निवासी पिचूना तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।
3पप्पन पुत्र नत्थी जाति राय निवासी पिचूना तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।
4.सम्मन पुत्र सीता जाति राय निवासी पिचूना तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।
5.अमरचंद पुत्र सीता जाति राय निवासी पिचूना तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थीगण
2.श्री मुकेश चंद शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—28.05.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी गण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1155 रखवा 1.89 हेक्टर बाके ग्राम पिचूना में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थी सहखातेदार हैं। नकल जमाबंदी संवत 2075 लगायत 2078 साथ प्रार्थना पत्र संलग्न है। शपथ पत्र पृथक से पेश किया है । तरतीवी अ प्रार्थी गण वक्त प्रार्थना पत्र मौजूद नहीं है अतः उन्हें बतौर तरतीवी अप्रार्थी गण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। उनसे किसी प्रकार की दादरसी नहीं चाही गई है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थी गण खातेदार हैं तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कभी भी हैसियत से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा और ना ही अप्रार्थी गण की हमारी उक्त आरजी के आसपास की भूमि है। अप्रार्थी गण के घर में विवाद रहता है तथा अपने घरेलू झगड़े से परेशान होकर अप्रार्थी गण गांव छोड़कर जा रहे थे तब अप्रार्थीगण को कुछ समय के लिये हमारी उक्त आराजी में निवास करने को कह दिया। अप्रार्थीगण ने हमारी उक्त आराजी पर दो छप्पर पोश डाल दिए एवं उनमें रहने लगे। दिनांक 14.7.2024 को जब प्रार्थीगण अपनी उक्त आरजी पर आए तो हमने देखा कि अप्रार्थीगण हमारी आराजी में पुख्ता निर्माण करने के लिए नींव खोद रहे थे। हमने मना किया तो अप्रार्थी गण नाराज हो गए एवं धमकी दी कि हम तो तुम्हारी इस खातेदारी की आराजी में पुख्ता निर्माण करेंगे तथा अब हम

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

तुम्हारी इस आरजी को खाली नहीं करेंगे तुम पर जो बने सो करो। जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.10.2024 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं निवेदन किया कि प्रार्थीगण का कथन है कि प्रति0 अप्रार्थीगण उनकी विवादित आराजी पर उनकी सहमति से काबिज हुये हैं। परंतु प्रार्थीगण ने यह खुलासा नहीं किया है कि अप्रार्थीगण किस सन्, संवत् की किस तारीख से काबिज हैं। इस खुलासे के अभाव में प्रार्थीगण को कोई वाद हेतुक ही उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इसी विनाय पर कानूनन संधारणीय नहीं है। और प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिजी है। विवादित भूखण्ड में अप्रार्थीगण सहित दर्जनों परिवारों की अपने पूर्वजों के जमाने से अर्सा करीब 60–70 सालों से रिहायश चली आ रही है। जिसमें अप्रार्थीगण के रिहायशी भूखण्ड में बाउण्ड्रीबाल , पक्का बाथरूम, पक्का शौचालय, कच्चा घर , छप्पर पोश आदि बने हुए हैं। युधिष्ठिर के नाम से विद्युत कनेक्शन हो रहा है। इसी विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी को बीपीएल श्रेणी के अंदर निर्माण कराये गये शौचालय के लिए प्रार्थी संख्या 01 वहैसियत सरपंच ग्राम पंचायत पिचूना द्वारा सत्यापन करने पर सरकार से 5000 रूपये राशि प्राप्त हुई थी। उक्त विवादित रिहायशी भूखण्ड के चारों ओर आबादी बसी हुई है। और इस आबादी बसे समूचे भूखण्ड पर प्रार्थीगण का दावा दायरी से अंदर बारह साल किसी हैसियत से किसी प्रकार का कब्जा नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के वर्णित आराजी बाबत कानूनन खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चुके हैं। विवादित आराजी ख0 नंबर 1155 रकबा 1.89 है0 प्रार्थीगण के अलावा रिकार्ड में दर्ज समस्त सहखातेदारों की अविभाज्य आराजी है और अविभाज्य रकबा पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच रकबा पर कब्जा है।जिसके बाबत कब्जा वापिसी की कार्यवाही सभी सहखातेदारान द्वारा मिलकर एक साथ की जा सकती है। अतः वाद व प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आ0 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत काबिल खारिजी है।

अप्रार्थी द्वारा 026 नियम 9 सीपीसी प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0 नं0 1155 रकबा 1.89 है0 बाके ग्राम पिचूना पर प्रतिवादीगण का कब्जा नाजायज बताया गया है जबकि प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर पूर्वजों के जमाने से रिहायश करते चले आ रहे हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के मौके पर स्थिति अलामत को रिकार्ड पर लाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त करने हेतु निवेदन किया। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति है। उक्त के संबंध में अभि0 वादी ने जबाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं यह तथ्य एडमिट किया है कि व वादीगण की आराजी में अपने छप्परपोश डालकर निवास कर रहे हैं एवं हमारी आराजी की खातेदारी की आराजी पर कब्जा किये हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जहां एडमिट हो वहां मौका निरीक्षण कराने का कोई उद्देश नहीं है। प्रार्थना पत्र उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली, पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा उक्त वाद पत्र कब्जा वापिसी हेतु पेश किया है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आराजी पर कब्जा होना स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

किया है ऐसी स्थिति में मौका दिखाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। दिनांक 08.06.2018 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में चरणसिंह आदि बनाम गोपी आदि प्रकरण में स्पष्ट किया गया कि आदेश 26 नियम 09 सीपीसी के तहत कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट प्राप्त करना किसी पक्ष विशेष के लिए साक्ष्य एकत्रित करने का कार्य है। पक्षकार को अपना दावा अपने स्तर पर ही साबित करना होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी 026 नियम 09 खारिज किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं अवगत कराया कि वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी है। ये एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध एवं सरोकार है। एवं उक्त आराजी के इर्द–गिर्द अप्रार्थीगण कोई आराजी नहीं है। हमने अप्रार्थीगण को अस्थाई तौर पर रहने के लिये अनुमति दी थी परंतु ये अभी पुख्ता निर्माण कर रहे हैं। अतः इन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में अवगत कराया कि उक्त विवादित आराजी का पूर्व में खसरा नंबर 1006 था । इसकी किस्म गैर मुमकीन आराजी थी। यह जमीन सहखातेदारी की है। इन्होंने अपने वादपत्र के मद संख्या 05 में कोई समयावधि अंकित नहीं की है कि कब से हमें कब्जा दिया हुआ है । प्रतिवादीगण इस भूमि पर विगत 60 वर्षो से निवास कर रहे हैं। वस्तुतः वादी के बाबा झम्मन ने ही हम भूमिहीन उस समय के रहने के लिये यह भूमि दी थी। तब से अभी तक हम ही काबिज हैं। यह भूमि कभी भी कृषि के लिये काश्त नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से ही विद्युत कनेक्शन है जबकि विद्युत कनेक्शन के लिए ग्राम पंचायत ही प्रमाण पत्र प्रदान करती है। विद्युत कनेक्शन से संबंधित दस्तावेज पत्रावली में संलग्न हैं। स्वयं वादी सरपंच तपन ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिये सरकार अनुदान हेतु हम अप्रार्थीगण को अनुमति दी।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली,शपक्ष पत्र एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी ने भी अपनी बहस में माना है कि अप्रार्थीगण का कब्जा काफी समय से है एवं कब्जे हेतु अनुमति भी इनके द्वारा ही दी गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भी अप्रार्थीगण का कब्जा लम्बे समय से होना प्रतीत होता है। दावे का फैसला गुणावगुण के आधार पर साक्ष्य लेकर ही किया जायेगा। अभी अगर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उसे अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है। प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदू प्रार्थी के हक में साबित नहीं होते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर